


UP  
18/8/25

msk

13 <sup>10</sup>/<sub>25</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील समक्ष उप  
वकील वादी द्वारा प्रकरण में आगे कार्यवाही  
नहीं चाहकर 'NOT PRESS' में खारिज करने  
का निवेदन किया। अतः प्रकरण इसी स्तर  
पर 'NOT PRESS' में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली के साथ सुमार होकर नम्बर से  
कम होकर ब्याट तामील दायित्व इफल्लर हो।



UP  
13/10/25

सुपखण्ड अधिकारी  
सिवासा, जिला नालावाड़ (राज.)

